

**वित्त मंत्रालय**

**मांग संख्या 44**

**अप्रत्यक्ष कर**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	3193.13	3193.13	...	3481.38	3481.38	...	3535.28	3535.28	...	3829.75	3829.75	
<b>पूँजी</b>	...	<b>47.34</b>	<b>47.34</b>	...	<b>119.20</b>	<b>119.20</b>	...	<b>34.83</b>	<b>34.83</b>	...	<b>149.25</b>	<b>149.25</b>	
<b>जोड़</b>	...	<b>3240.47</b>	<b>3240.47</b>	...	<b>3600.58</b>	<b>3600.58</b>	...	<b>3570.11</b>	<b>3570.11</b>	...	<b>3979.00</b>	<b>3979.00</b>	
<b>सीमा शुल्क</b>													
1. सीमा शुल्क संग्रहण	2037	...	960.56	960.56	...	1046.53	1046.53	...	1050.71	1050.71	...	1147.97	1147.97
2. सीमा शुल्क पर अन्य व्यय													
2.01 सीमा शुल्क कल्याण निधि	2037	...	...	...	...	6.20	6.20	...	5.58	5.58	...	6.20	6.20
2.02 अन्य मदें	2037	...	2.10	2.10	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30
	4047	...	46.52	46.52	...	87.20	87.20	...	30.42	30.42	...	100.00	100.00
	<i>जोड़</i>	...	<i>48.62</i>	<i>48.62</i>	...	<i>89.50</i>	<i>89.50</i>	...	<i>32.72</i>	<i>32.72</i>	...	<i>102.30</i>	<i>102.30</i>
<i>जोड़- सीमा शुल्क पर अन्य व्यय</i>		...	<i>48.62</i>	<i>48.62</i>	...	<i>95.70</i>	<i>95.70</i>	...	<i>38.30</i>	<i>38.30</i>	...	<i>108.50</i>	<i>108.50</i>
<b>जोड़-सीमा शुल्क</b>		...	<b>1009.18</b>	<b>1009.18</b>	...	<b>1142.23</b>	<b>1142.23</b>	...	<b>1089.01</b>	<b>1089.01</b>	...	<b>1256.47</b>	<b>1256.47</b>
<b>केन्द्रीय उत्पाद शुल्क</b>													
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संग्रहण	2038	...	1938.32	1938.32	...	2103.84	2103.84	...	2126.49	2126.49	...	2325.63	2325.63
4. अन्य व्यय													
4.01 निरीक्षण निदेशालय	2038	...	31.75	31.75	...	37.12	37.12	...	38.71	38.71	...	39.38	39.38
4.02 प्रणाली और डाटा प्रबंधन	2038	...	131.25	131.25	...	138.00	138.00	...	165.49	165.49	...	143.75	143.75
4.03 सतर्कता	2038	...	11.61	11.61	...	13.10	13.10	...	12.73	12.73	...	13.78	13.78
4.04 राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स अकादमी	2038	...	41.09	41.09	...	44.31	44.31	...	44.60	44.60	...	59.15	59.15
4.05 प्रचार और जनसम्पर्क निदेशालय	2038	...	31.18	31.18	...	35.44	35.44	...	33.48	33.48	...	35.37	35.37
4.06 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय	2038	...	29.88	29.88	...	33.91	33.91	...	36.66	36.66	...	37.21	37.21
4.07 अन्य	2038	...	11.97	11.97	...	13.63	13.63	...	13.53	13.53	...	14.01	14.01
	<i>जोड़- अन्य व्यय</i>	...	<i>288.73</i>	<i>288.73</i>	...	<i>315.51</i>	<i>315.51</i>	...	<i>345.20</i>	<i>345.20</i>	...	<i>342.65</i>	<i>342.65</i>
5. अनुरक्षण और मरम्मत	2216	...	3.96	3.96	...	7.00	7.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
6. तैयार-निर्मित आवास की खरीद													
6.01 कार्यालय भवन	4059	...	...	...	...	28.00	28.00	...	4.31	4.31	...	47.91	47.91

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6.02 रिहायशी भवन	4216	...	0.82	0.82	...	4.00	4.00	...	0.10	0.10	...	1.34	1.34
जोड़- तैयार -निर्मित आवास की खरीद		...	0.82	0.82	...	32.00	32.00	...	4.41	4.41	...	49.25	49.25
<b>जोड़-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क</b>		...	<b>2231.83</b>	<b>2231.83</b>	...	<b>2458.35</b>	<b>2458.35</b>	...	<b>2481.10</b>	<b>2481.10</b>	...	<b>2722.53</b>	<b>2722.53</b>
7. वास्तविक वसूलियां	2037	...	-0.10	-0.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2038	...	-0.44	-0.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	-0.54	-0.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>3240.47</b>	<b>3240.47</b>	...	<b>3600.58</b>	<b>3600.58</b>	...	<b>3570.11</b>	<b>3570.11</b>	...	<b>3979.00</b>	<b>3979.00</b>

1. इसमें सीमा शुल्क विंग की स्थापना और अन्य व्यय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग को इसके द्वारा छोटे बंदरगाहों और भूमि सीमा शुल्क बार्डर चौकियों पर किए गए सीमा शुल्क कार्य हेतु आनुपातिक प्रभारों के भुगतान हेतु प्रावधान शामिल है।

2. इसमें अन्य विभागों को भुगतान हेतु 2.30 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। तस्करीरोधी उपकरण (कन्टेनर स्कैनर) और समुद्रीय बेड़ा (मेराइन फ्लीट) की खरीद पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। सीमा शुल्क कल्याण निधि को अन्तरण के लिए 6.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

3. यह प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन के स्थापना व्ययों हेतु है जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के संग्रहण पर अन्य व्यय शामिल हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग कतिपय स्थानों जैसे छोटे बंदरगाहों और भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर सीमा शुल्क का कार्य भी करते हैं और इसके लिए सीमा शुल्क विंग से समानुपातिक प्रभार भी वसूल किए जाते हैं।

4. यह प्रावधान मुख्यतः निरीक्षण, ऑडिट, प्रणाली और डाटा प्रबंधन, प्रशिक्षण, सतर्कता, प्रचार निदेशालय आदि जनसम्पर्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, समझौता आयोग और अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की स्थापना और अन्य व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान विभागीय स्वामित्व वाले आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए है।

6. इसमें वह प्रावधान शामिल हैं जोकि केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के संबंध में बने-बनाए कार्यालय भवनों और बने बनाए आवासीय भवनों के क्रय और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी, बंगलुरु हेतु नए कार्यालय परिसर हेतु भी है।